

प्रेषक:

जे. पी. जोशी,
अनु. सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केंद्र-2
समुदाय केंद्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

पब्लिक शिक्षा अनुभाग।

देहरादून: दिनांक 08 जुलाई, 2002

विषय: सरदार मान सिंह दत्ता मैनेरियल नोज़गे पब्लिक स्कूल, चारुवेटा, खटीमा, उधमसिंह नगर को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

गहोदय,

उपयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरदार मान सिंह दत्ता मैनेरियल नोज़गे पब्लिक स्कूल, चारुवेटा, खटीमा, उधमसिंह नगर को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वायलिजेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था-शैक्षिक एवं शिक्षणोपकर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्ति शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य-वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उ0मा10 विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समक-समय-पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा।

उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन प्रस्ताव नहीं किया जायेगा।

प्रतिपक्ष यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि-

- 1- संस्था में कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजना तथा प्रयोगशाला का निर्माण निश्चित मानक के अनुसार एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जाए।
- 3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की झूठ या सिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लिया जायेगा।

भवदीय

(जे. पी. जोशी)
अनु सचिव।

संख्या: 642(1)/माध्यमिक/2002 तददिर्नोक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

शिक्षा निदेशक, बेसिक एवं माध्यमिक, उत्तरांचल देहरादून।

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।

जिला विद्यालय निरीक्षक उधमसिंह नगर।

अन्धक सरदार मान सिंह दत्ता मैमोरियल नोजगे पब्लिक स्कूल, चारुवेटा, खटीमा, उधमसिंह नगर अनुभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(जे. पी. जोशी)
अनु सचिव।